जी नहीं। उत्तर प्रदेश पार्क, खेल का मैदान और खुली जगह (संरक्षण और विनियमन) अधिनियम, 1975 तथा तद्विषयक नियमावली, 2005 के द्वारा उ0प्र0 में पार्क, खेल के मैदान और खुली जगह के संरक्षण और विनियमन का प्राविधान किया गया है। किसी पार्क, खेल का मैदान या खुली जगह का उपयोग विहित प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए इसे बनाया गया है, से भिन्न किसी प्रयोजन के लिए नहीं किये जाने का प्राविधान है। लखनऊ के पार्कों में छोटे बच्चों के खेलने, कूदने, टहलने एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी योगाभ्यास आदि करने पर कोई रोक नहीं है।

जनपद लखनऊ के अन्तर्गत विनीत खण्ड-6, गोमतीनगर के पर्यावरण पार्क में बच्चों को खेलने और वृद्धों के टहलने पर कोई रोक नहीं लगायी गयी हैं।

उपरोक्तानुसार।
उपरोक्तानुसार।

ए.के. शर्मा

मंत्री

नगर विकास विभाग।